प्रशासनिक आदेश संख्या– 146 /2021 **दिनांक –06 /04 /2021**

अध्यक्ष, नोवल कोरोना वायरस बचाव एवं राहत समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, सीतापुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 06.04.2021 द्वारा यह संज्ञान में लाया गया है कि जनपद न्यायालय में कार्यरत सिस्टम आफीसर श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव की कोविड–19 की जांच रिपोर्ट धनात्मक पायी गयी है तथा यह अनुरोध किया गया है कि दीवानी न्यायालय परिसर को साफ–सुथरा तथा पूर्ण रूप से सेनिटाइजेशन कराने के उद्देश्य से कोविड–19 की गाइड लाइन के अनुसार कोविड–19 के बढ़ते प्रसार को रोकने हेतु दिनांक **07.04.2021 एवं 08.04.2021 (48 घण्टे)** को न्यायालय, न्यायिक/प्रशासनिक कार्य हेतु बन्द कराते हुये वृहद सेनिटाइजेशन कराया जाय।

अध्यक्ष, नोवल कोरोना वायरस बचाव एवं राहत समिति/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, सीतापुर एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर की उपरोक्त आख्या को दृष्टिगत रखते हुये तथा आख्या को अनुमोदित करते हुये निम्न आदेश पारित किया जाता है–

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1941/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad: Dated- 05 April, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय परिसर स्थित समस्त न्यायालयों को दिनांक **07.04.2021 एवं 08.04.2021 (48 घण्टे)** के लिए वृहद सेनिटाइजेशन हेतु बन्द किया जाता है एवं सेनिटाइजेशन के पश्चात् समस्त न्यायालय दिनांक 09.04.2021 को पूर्ववत् खुलेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 1941/LXXXVII-CPC/eCourts/Allahabad: Dated- 05 April, 2021 में वर्णित निर्देशों के अनुपालन में जिला अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी एवं नगर पालिका, सीतापुर दिनांक 07.04.2021 एवं 08.04.2021 को जनपद न्यायालय परिसर के समस्त न्यायालय/ कार्यालय/ अनुभाग/ परिसर/ भवन/ बार एसोसिऐशन/ आवासीय परिसर जजेज कालोनी को सम्पूर्ण रूप से सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करें एवं सम्पूर्ण न्यायालय की साफ–सफाई भी कराना सुनिश्चित करें। केन्द्रीय नाजिर एवं उप नाजिर, जनपद न्यायालय सीतापुर को निर्देशित किया जाता है कि वह सेनिटाइजेशन के कार्य में उपरोक्त की आवश्यक सहायता करें।

दिनांक 07.04.2021 एवं 08.04.2021 को न्यायालयों में नियत आवश्यक न्यायिक कार्य अगले कार्य दिवस दिनांक 09.04.2021 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत होंगे। इसी संबंध में उपरोक्त तिथि को नियत वादों हेतु निम्न सामान्य अग्रिम तिथि नियत की जाती है–

नियत तिथि	जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में नियत अग्रिम तिथि	जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अपर जिला एवं सत्र न्यायालयों को छोड़कर समस्त न्यायालयों नियत अग्रिम तिथि
07.04.2021	14.04.2021	22.04.2021
08.04.2021	15.04.2021	23.04.2021

उपरोक्त तिथि में जिला कारागार, सीतापुर का रिमाण्ड कार्य वीडियो कान्फ्रेसिंग द्वारा न्यायालय सत्र न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायालयों से संबंधित श्री सुरेन्द्र सिंह–III, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /एफ0टी0सी0 (न्यू), सीतापुर द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

यहीं पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दिनांक 07.04.2021 एवं 08.04.2021 को जनपद सीतापुर के वाह्य न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) बिसवां, सिविल जज(जू0डि0) महमूदाबाद, ग्राम न्यायालय सिधौली तथा ग्राम न्यायालय लहरपुर पूर्ववत् खुले रहेंगे।

आदेश की एक प्रति सिस्टम असिस्टेंट, केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, जनपद न्यायालय, सीतापुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

सर्व सम्बन्धित सूचित हो।

6/4/2021

(कुलदीप कुमार–II)
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सीतापुर।
2– अध्यक्ष, बचाव एवं राहत समिति, सीतापुर।
3– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (न्यू) सीतापुर।(रिमाण्ड अधिकारी)
4– जिला अधिकारी, सीतापुर।
5– पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
6– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर।
7– मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतापुर।
8– अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिऐशन, सीतापुर।
9– जेल अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
10– अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सीतापुर।
11– जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर।
12– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,. सीतापुर।

6/4/2021

(कुलदीप कुमार–II)
जनपद न्यायाधीश,
सीतापुर।